न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 86 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. भैरू कुमार पुत्र बबाराम जाति मेघवाल निवासी सिसरवादा तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री लक्ष्मण मेघवाल अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— **दिनांक** —18/12/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम सिसरवादा, पटवार हल्का भैसाणा, भू.अ. नि.क्षेत्र सोजतरोड़ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान खाता संख्या 160 पुराना 154 के खसरा नम्बर 144 रकबा 0.1500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 146 रकबा 0.6500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 151 रकबा 2.1800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 323 रकबा 1.0200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 04 कुल रकबा 4.0000 हैक्टर की भूमि प्रार्थी के पिता स्वर्गीय बबाराम पुत्र श्री हुकमाराम व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी कब्जा काश्त कृषि भूमि आयी हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थी के पिता का 1/5 हिस्सा खातेदारी, कब्जा काश्त का स्थित है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में त्रुटीवश प्रार्थी के स्वर्गीय पिता का नाम वनाराम पुत्र हुकमाराम गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी के स्वर्गीय पिता की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि हैं जिस कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता बबाराम जी का स्वर्गवास होने के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा विरासत का नामान्तरण दर्ज करवाना था लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर यह तथ्य सामने आया कि वक्त इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के स्वर्गीय पिता बबाराम पुत्र श्री हुकमाराम के स्थान पर वनाराम पुत्र श्री हुकमाराम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया हैं जबकि प्रार्थी के स्वर्गीय पिता का वास्तविक नाम व अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, अन्य कृषि भूमि खसरा नम्बर 464/6 में भी प्रार्थी के पिता का नाम बबाराम पुत्र श्री हुकमाराम जाति मेघवाल दर्ज है, जबकि वनाराम पुत्र श्री हुकमाराम जाति मेघवाल निवासी सिसरवादा में कोई व्यक्ति नहीं है अर्थात बबाराम पुत्र श्री हुकमाराम जाति मेघवाल निवासी सिसरवादा केवलमात्र एक ही व्यक्ति हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज राजस्व कर्मचारीयो द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम बबाराम के स्थान पर वनाराम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया, जबकि प्रार्थी के पिता की स्वयं की ग्राम सिसरवादा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 464/6 रकबा 0.0800 हैक्टर में दस्तावेजी नाम बबाराम

उप खण्ड अधिकारी

पुत्र हुकमाराम ही अंकित हैं, जो भी विरासत के आधार पर दर्ज किये गये तथा प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड व अर्द्ध सरकारी तमाम दस्तावेज में बबाराम पुत्र हुकमाराम ही दर्जसुदा है जिससे भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता का सही व दस्तावेजी नाम बबाराम पुत्र हुकमाराम ही है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी का ही अपने पिता के हक हिस्से की भूमि पर बहैसियत खातेदार के कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग आज दिन तक चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारीयो द्वारा प्रार्थी के पिता का दस्तावेजी नाम अंकित नही करने से प्रार्थी को वर्तमान में सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागो में भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है तथा कई सरकारी व अर्द्धसरकारी योजनाओं से उक्त त्रुटी की वजह से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने स्वर्गीय पिता वनाराम पुत्र हुकमाराम के स्थान पर रेकर्ड दुरस्त करवा कर बबाराम पुत्र श्री हुकमाराम दर्ज करवा कर रेकर्ड दुरस्त करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम सिसरवादा, पटवार हल्का भैसाणा, भू.अ.नि.क्षेत्र सोजतरोड़ तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान खाता संख्या 160 पुराना 154 के खसरा नम्बर 144 रकबा 0.1500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 146 रकबा 0.6500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 151 रकबा 2.1800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 323 रकबा 1.0200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 04 कुल रकबा 4.0000 हैक्टर की भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम वनाराम पुत्र हुकमाराम 1/5 के स्थान पर बबाराम पुत्र श्री हुकमाराम दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टरं किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/2025/1777 दिनांक 16.12.2025 के जरिये प्रस्तुत कर पटवारी हल्कानुसार सिसरवादा के खाता सं0 160 में वादी के पिता का नाम वनाराम पुत्र हुकमाराम हि0 1/5 जाति मेगवंशी दर्ज है व खाता सं0 252 में वादी के पिता का नाम बबाराम पुत्र हुकमाराम हिस्सा पूर्ण जाति मेगवाल दर्ज है, मौके पर जांच की गई। जिसमें मौतबिरानों ने बताया कि वनाराम पुत्र हुकमाराम व बबाराम पुत्र हुकमारांम दोनों एक ही व्यक्ति व हुकमाराम का ही पुत्र है। मौके पर वनाराम पुत्र हुकमाराम नाम से अन्य कोई व्यक्ति नहीं हैं। बाद जांच वनाराम पुत्र हुकमाराम के स्थान पर बबाराम पुत्र हुकमाराम किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं, की रिपोर्ट पेश की।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित

उप खण्ड अधिकारी

कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की वल्दियत वनाराम पुत्र हुकमाराम के स्थान पर बबाराम पुत्र हुकमाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, तहसीलदार सोजत, अन्य दस्तावेजात का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत मय पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर वनाराम पुत्र हुकमाराम व बबाराम पुत्र हुकमाराम दोनो एक ही व्यक्ति व हुकमाराम का ही पुत्र हैं। मौके पर वनाराम पुत्र हुकमाराम नाम से अन्य कोई व्यक्ति नहीं हैं तथा बाद जांच वनाराम पुत्र हुकमाराम के स्थान पर बबाराम पुत्र हुकमाराम किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजी साक्ष्य बबाराम का आधारा कार्ड नं0 7297 3882 5317 ग्राम सिसरवादा तह0 सोजत की जमाबंदी सम्वत् 2050–2053 के खाता सं0 130 में भी प्रार्थी के पिता का नाम बबाराम पुत्र हुकमाराम कौम मेगवंशी दर्ज हैं। अतः तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी के पिता का नाम बबाराम पुत्र हुकमाराम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा प्रार्थी का उक्त प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम वनाराम पुत्र हुकमाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम बबाराम पुत्र हुकमाराम दुरूस्त रूप से इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम वनाराम पुत्र हुकमाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम बबाराम पुत्र हुकमाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता बदस्तुर रहे। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 18/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत